राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 296/23

निर्णय दिनांक 10.02.2025

उनवान:

1. मनोज कुमार उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मांढण तहसील मांढण जिला कोटपूतली-बहरोड

............वादी

बनाम

1. चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत भवन विद्युत मार्ग, ज्योतिनगर जयपुर राज0
2. सहायक अभियन्ता (O& M) जयपुर वि0 वि0 निगम लि0 कार्यालय मांढण जिला कोटपूतली-बहरोड राज0।
3. कनिष्ट अभियन्ता जयपुर वि0 वि0 निगम लि0 कार्यालय मांढण जिला कोटपूतली-बहरोड राज0।
4. अधिशाषी अभियन्ता जयपुर वि0 वि0 निगम लि0 कार्यालय बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड राज0।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

1. श्री सुनिल दत्त यादव योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामनिवास सामरिया योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की ओर से

दावा बाबत हुक्म ईम्तनाई दवामी

॥ निर्णय ॥

पत्रावली पेश हुई। दावे मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 इस प्रकार पेश किया गया है कि वादी ने मौजूदा दावा अन्य सहखातेदारो की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर हाल 820, 827, 828, 829, 830, 826, 825, 831, 832, 833 वाके ग्राम मांढण तहसील मांढण की बाबत एवं खसरा नम्बर 211 वाके ग्राम अडींद की बाबत पेश किया गया है जो वाद सिविल नेचर का हैतथा वादी ने वाद राजस्व न्यायालय मे पेश किया गया है। इसलिए वादी को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही होता है। वादी द्वारा बिना वाद हेतुक उत्पन्न हुऐ एवं बिना क्षेत्राधिकार के न्यायालय श्रीमान् के समक्ष गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है। जो दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे आने के कारण चलने योग्य नही है। काबिल खारिज है खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई ।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की नकल वकील वादी को उपलब्ध करवाई गई। वकील वादी ने प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यो को इंकार करते हुऐ जबाव पेश किया गया कि दावा मे वर्णित सभी खसरा नम्बर कृषि भूमि है और कृषि भूमि की बाबत हर प्रकार के वाद श्रवण करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को है। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है। खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई। पत्रावली को वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 निम 11 नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

हमने उभय पक्षो की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा दावा मे वर्णित खसरा नम्बरान मे खडी फसल मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 द्वारा विधुत पोल खडे कर उनके ऊपर 11 हजार कें.वी.की विधुत सप्लाई के लिए तार खींचना चाहते है। इसलिए प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के पुर्ण अवलोकन से वादी का वाद राजस्व वाद की श्रेणी मे आना साबित नही होने के उक्त अनुवानी वाद राजस्व न्यायालय मे चलने योग्य नही है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है।

:: **आदेश** ::

अतः प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार होने के कारण वादी द्वारा पेश **''हुक्म ईम्तनाई दवामी ''** के दावा को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे । तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील दफतर दाखिल हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 296/23

निर्णय दिनांक 10.02.2025

उनवान:

1. मनोज कुमार उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांढण तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड

............वादी

बनाम

1. चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 विधुत भवन विधुत मार्ग, ज्योतिनगर जयपुर राज0
2. सहायक अभियन्ता (O& M) जयपुर वि0 वि0 निगम लि0 कार्यालय मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. कनिष्ट अभियन्ता जयपुर वि0 वि0 निगम लि0 कार्यालय मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
4. अधिशाषी अभियन्ता जयपुर वि0 वि0 निगम लि0 कार्यालय बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थिति:–

1. श्री सुनिल दत्त यादव योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामनिवास सामरिया योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की ओर से

दावा बाबत हुक्म ईम्तनाई दवामी

:: **आदेश** ::

अत: प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार होने के कारण वादी द्वारा पेश ''**हुक्म ईम्तनाई दवामी** '' के दावा को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

पचा डिक्री आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)